निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 160/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मोरधन लाल पुत्र श्री गणेश जाति भूर्विया निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 बृज मोहन पुत्र गणेश
2 भौरीलाल पुत्र गणेश
3 रूपनारायण पुत्र गणेश
4 रामजीलाल पुत्र गणेश
समस्त जाति भूर्विया, निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
5 श्री शिवचरण शर्मा आर ए एस पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 51/2021 ब उनवानी मोरधन लाल बनाम बृजमोहन व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेश काला अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 10.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 51/2021 ब उनवानी मोरधन लाल बनाम बृजमोहन व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश काला ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा लगातार धमकी दी जाती है कि मौजूदा पीठासीन अधिकारी से हमारी अच्छी जान पहचान है, इस कारण हम लोग अपने अनुसार उक्त पत्रावली का फैसला करवा देंगे तथा यह भी कहते है कि तू कितना भी जोर लगा ले, हम लोग तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। प्रार्थी जब भी कोर्ट जाता है तो पता चलता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 हरवक्त पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठे रहते है

जिला कलक्टर
जयपुर

तथा बाहर आकर प्रार्थी को धमकी देते है कि देख लो हम अधिकारी के साथ किस प्रकार से मिले हुये है। हम विवादित भूमि का अपने मन माफिक बंटवारा करवायेंगे और रोड की तरफ से अच्छी जमीन हम ही लेंगे। तू कुछ भी नहीं कर पायेगा। उक्त पत्रावली राजस्व कैम्प जटवाडा मे दिनाक 21.10.2021 को पेश हुई तथा उसके संबंध में प्रार्थी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। कैम्प के अन्दर अप्रार्थीगण उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर उक्त पत्रावली में प्राथिमक डिक्री के आदेश पीठासीन अधिकारी से करवा लिये तथा उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी ने पटवारी तथा तहसीलदार को यह आदेशित किया कि दिनांक 08.11.2021 को राजस्व कैम्प बड़वा में आयोजित है, उसमें बंटवारे का प्रस्ताव भिजवाये इससे साफ जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को लाभ पहुंचाना चाहते है तथा प्रार्थी को सदोष हानि पहुँचाना चाहते है। जब कैम्प जटवाडा में प्राथिमक डिक्री के एक तरफा आदेश फरमा दिये गये थे, तो उक्त पत्रावली कोर्ट कैम्प बड़वा मे रखने का कोई आधार जाहिर नही होता है तथा उक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी भी नही दी गई है । उक्त पत्रावली का निस्तारण अपने अनुसार पीठासीन अधिकारी करना चाहते है । वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के मुताबिक जमीन का बंटवारा कर उनको लाभ पहुंचाना चाहते है। मौके पर पटवारी व गिरदावर गये और बंटवारे का प्रस्ताव तैयार कर रहे थे तो प्रार्थी ने पूछा कि आप क्या कर रहे है, तो उन्होंने बताया कि उक्त जमीन का बंटवारा प्रस्ताव अर्थात कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर रहे है। इस पर जब प्रार्थी ने बोला कि इस प्रस्ताव में आप अच्छी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को क्यों दे रहे हो, तो पटवारी हल्का ने कहा कि हमारे ऊपर से आदेश है। मौजूदा पीठासीन अधिकारी इसी प्रकार विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। इस पर जब प्रार्थी पीठासीन अधिकारी से मिले तो पीठासीन अधिकारी ने उल्टा प्रार्थी को धमका कर भगा दिया और कहा कि मैं इच्छानुसार बंटवारा करूंगा तू कौन होता है। इस बात से जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को उनके मुताबिक रोड के साइड की अच्छी भूमि देना चाहते है। बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर होना चहिये ना कि किसी एक पक्षकार के पक्ष में अच्छी भूमि देकर। इससे प्रार्थी को किसी भी रूप से माननीय न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण उक्त पत्रावली को अन्यत्र ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि प्रार्थी जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है । इसी मंशा से झूठे एवं मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आरोपों की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने जो आरोप लगाये है, उनके समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे आरोपों की पुष्टि होती सके। उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने भी अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों

जिला कलक्टर
जयपुर

का खण्डन किया है। प्रार्थी ने केवल मात्र कयास के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व द्वारा पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है । इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD 2 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाए। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्व कायदा उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से खारिज होकर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **10.03.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

10/03/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर